

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 337]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 9 अगस्त 2016—श्रावण 18, शक 1938

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 9 अगस्त 2016

क्र. बी-7-(ए)-10-2016-2-पांच (21).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, मध्यप्रदेश आबकारी अधीनस्थ तृतीय श्रेणी (लिपिकीय) सेवा भर्ती नियम, 1983 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 14 में, उप-नियम (3) के पश्चात्, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए तथा उसके पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात्:—

“परन्तु उन लिपिकीय कर्मचारियों को जिन्होंने 45 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो पदोन्नति के लिए लेखा प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने से छुट प्राप्त होगी.”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 9 अगस्त 2016

क्र. बी-7-(ए)-10-2016-2-पांच (21).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-7-(ए)-10-2016-2-पांच (21), दिनांक 9 अगस्त, 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

Bhopal, the 9th August 2016

No. B-7-(A)-10-2016-2-V-(21).—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Excise Subordinate Class-III (clerical) Service Recruitment Rules, 1983, namely:—

AMENDMENT

In the said rules, in rule 14, after sub-rule (3), for the full stop, the colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be added, namely :—

“Provided that those clerical employees, who have attained the age of 45 years shall be exempted from passing accounts training for promotion.”.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
S. D. RICHHARIA, Dy. Secy.